कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 429/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 29.11.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 29.11.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01.थाना–जहानागंज: आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व घटना / विवरण –

दिनांक 26.11.2025 को थाना जहानागंज पर एक महिला द्वारा प्रार्थना–पत्र देते हुए अवगत कराया गया कि उनकी पुत्री आरती राय को ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण उसने विषाक्त पदार्थ सेवन कर आत्महत्या कर ली।

प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 364/2025 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना उपनिरीक्षक श्री अभिषेक सिंह द्वारा की जा रही थी। इस प्रकरण में नामजद अभियुक्तगण ग्राम गोधौरा, थाना जहानागंज, जनपद आज़मगढ़ के निवासी हैं।

दिनांक 27.11.2025 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंगद राय पुत्र विरेन्द्र राय, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम गोधौरा, थाना जहानागंज, जनपद आज़मगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

घटना व गिरफ्तारी का विवरण –

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे वाछित/वारंटियों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन सिंह के कुशल निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी जहानागंज अतुल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में आज दिनांक 29 नवम्बर 2025 को थाना जहानागंज पुलिस टीम द्वारा मुखबीरी सूचना के आधार पर 02 नफर अभियुक्तगम मु0अ0सं0 364/25 से सम्बन्धित को गोधौरा मोड़ से समय 12.20 बजे कारण गिरफ्तारी बताते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया तथा बाद पुलिस कार्यवीही अभियुक्तगणों को मा0 न्याय0 भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. शालू राय पत्नी रामविजय राय
2. रामविजय पुत्र विरेन्द्र राय निवासीगण गोधौरा थाना जहानागंज आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 364/2025 धारा 108 बीएनएस, थाना जहानागंज, जनपद आज़मगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

• उ0नि0 अभिषेक सिंह – थाना जहानागंज, जनपद आज़मगढ़

का0 अनुप कुमार, का0 विशाल चौधरी व म0का0 शिखा सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़

02.थाना देवगांव: 38 ग्राम अवैध गांजा के साथ मुख्य आरक्षी गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आज़मगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं नशे के कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) श्री मधुवन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री भूपेष कुमार पाण्डेय के कुशल मार्गदर्शन में थाना देवगांव पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की गई।

➡ दिनांक 28.11.2025 को उ0नि0 सुभाष तिवारी प्रभारी चौकी लालगंज मय पुलिस टीम रात्रि गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हाईवे मोड़ पकड़ी खुर्द रोड के पास आने-जाने वाले राहगीरों को अवैध गांजा बेच रहा है। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर मुखबिर की निशानदेही पर एक व्यक्ति को बिना कोई अवसर दिए पकड़ लिया गया।

पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम–
1- दीपक चौधरी पुत्र कृष्णा चौधरी, निवासी अशोक नगर कालोनी दानियालपुर नक्कीघाट, थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी बताया तथा स्वयं को डाक पैरोकार (मुख्य आरक्षी) के रूप में नियुक्त होना स्वीकार किया।

बरामदगी का विवरण:
क्षेत्राधिकारी लालगंज की उपस्थिति में NDPS ACT के प्रावधानों के अनुरूप अभियुक्त की तलाशी ली गई, जिसमें एक पन्नी में सफेद कागज की चार पुड़ियों में रखा कुल 38 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इलेक्ट्रॉनिक बाट से तौल कराने पर कुल वजन 38 ग्राम पाया गया। अभियुक्त को अपराध से अवगत कराते हुए समय 22:50 बजे विधिक कार्यवाही करते हुए हिरासत में लिया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त:
1-दीपक चौधरी पुत्र कृष्णा चौधरी, निवासी अशोक नगर कालोनी दानियालपुर नक्कीघाट, थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी

03. थाना तहबरपुर: विद्युत मोटर चोरी करने वाला वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार

➡ दिनांक 13.09.2025 को वादी अभय कुमार राय निवासी कोठिहार की ट्यूबवेल से विद्युत जल पम्प चोरी होने की घटना पर थाना तहबरपुर में मु0अ0सं0 209/2025, धारा 305/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त की तलाश जारी थी।

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण अभियान के अंतर्गत दिनांक 29.11.2025 को उ0नि0 उमाकान्त शुक्ल, उ0नि0 त्रिभुवन नारायण सिंह व टीम द्वारा मंझारी क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर बैरमपुर–ओहनी तिराहा के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया।

➡ पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम रवि यादव पुत्र राजमन यादव (निवासी मंझारी) बताया तथा उसी की कमर से एक तमंचा .315 बोर व एक जिंदा कारतूस, तथा पर्स से ₹677 रुपये बरामद हुए। आरोपी ने ट्यूबवेल की मोटर चोरी कर ₹5000 में बेचने की बात स्वीकार की।
पंजीकृत अभियोगः
मु0अ0सं0 209/2025, धारा 305/317(2) BNS, थाना तहबरपुर
मु0अ0सं0 246/2025, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना तहबरपुर
आपराधिक इतिहास (संक्षेप): धारा 392, 411, 307, 399, 402 व गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित कुल 5 पूर्व अभियोग दर्ज।
बरामदगी:
01 अदद तमंचा .315 बोर
01 अदद जीवित कारतूस
₹677 नकद
गिरफ्तार टीम:
उ0नि0 उमाकान्त शुक्ल, उ0नि0 त्रिभुवन नारायण सिंह, का0 अष्टभुजा यादव, का0 राहुल कुमार थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

04. थाना – कोतवाली: वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादिनी द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना-पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनकी 18 वर्षीय पुत्री दि. 21.11.25 को अपनी सहेली के साथ आजमगढ़ गई थी। पहाड़पुर तिराहे पर उसने सहेली को ऑटो में बैठाकर आगे आने की बात कही, जिसके बाद से वह लापता है तथा उसका मोबाइल बंद हो गया। इस संबंध में दि. 22.11.25 को मुकदमा अपराध संख्या 617/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त *अमजद अली पुत्र मोहम्मद जाहिद* निवासी बिन्दवल थाना बिलरियागंज (उम्र 19 वर्ष) को दि. 29.11.25 को समय लगभग 11.15 बजे बमबम बाबा की कुटिया के पास से विधिवत गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण

अमजद अली पुत्र मोहम्मद जाहिद, निवासी – बिन्दवल, थाना बिलरियागंज, जनपद आज़मगढ़, उम्र – 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

मुकदमा अपराध संख्या- 617/25 धारा 137(2)/324(4) बीएनएस एवं धारा 3/4/5(1) उ0प्र0 अवैध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद आज़मगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- उ0नि0 कुलदीप कुमार, चौकी प्रभारी पहाड़पुर
- कां0 प्रदीप कुमार, थाना कोतवाली आज़मगढ़

02.थाना – कोतवाली: किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना–पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री को दि. 06.08.2025 को मोहल्ले का एक युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया। उक्त घटना में आरोपी के परिवार के अन्य सदस्यों की भी संलिप्तता बताई गई। प्रकरण में दि. 21.08.2025 को मुकदमा अपराध संख्या 398/2025 धारा 137(2), 87, 61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण

मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त *प्रमोद निषाद पुत्र सल्लू निषाद*, निवासी राहुल नगर मड़या, थाना कोतवाली (उम्र लगभग 25 वर्ष) को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, चौकी प्रभारी रोडवेज द्वारा दि. 29.11.2025 को समय 12.15 बजे थाना कोतवाली गेट के पास से विधिवत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण

प्रमोद निषाद पुत्र सल्लू निषाद, निवासी – राहुल नगर मड़या, थाना कोतवाली, जनपद आज़मगढ़

पंजीकृत अभियोग

मुकदमा अपराध संख्या 398/2025,धारा – 137(2)/87/61(2)/65(1) बीएनएस तथा धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट, थाना – कोतवाली, जनपद आज़मगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, चौकी प्रभारी रोडवेज, थाना कोतवाली, जनपद आज़मगढ़

प्रेस नोट
थाना–तरवां, जनपद आज़मगढ़
दिनांक – 29.11.2025

परिवारिक विवाद के चलते पत्नी की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक- 29.11.2025 को वादी त्रिवेणी यादव पुत्र स्व. राम वृक्ष यादव, निवासी ग्राम रोशनपुर, थाना तरवां ने थाना तरवां पर लिखित तहरीर दी कि उनकी बहन की शादी लगभग 18 वर्ष पूर्व ग्राम महुवारी मठिया, थाना तरवां के निवासी *सुनील यादव पुत्र शिवमूरत यादव* के साथ हुई थी।
दिनांक 28.11.2025 को पति–पत्नी के मध्य हुई कहासुनी के दौरान अभियुक्त सुनील यादव ने अपनी पत्नी को लात–घूंसों से मारा तथा घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से गले के पास वार कर उसकी हत्या कर दी।
तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 321/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत करते हुए विवेचना थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार द्वारा की जा रही थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 29.11.2025 को थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय पुलिस टीम क्षेत्र में देखभाल व वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु भ्रमणशील थे। इसी दौरान प्राप्त मुखबिर सूचना पर *अभियुक्त सुनील यादव पुत्र शिवमूरत यादव, निवासी महुवारी मठिया, थाना तरवां (उम्र लगभग 40 वर्ष)* को समय 12:45 बजे कम्हरिया मोड़ से विधिवत गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने स्वीकार किया कि कहासुनी के दौरान उसे अत्यधिक गुस्सा आ गया, जिसके चलते उसने पत्नी को लात–घूंसों से मारकर तथा सब्जी काटने वाले चाकू से गले पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी।

बरामदगी

• एक अदद सब्जी काटने वाला चाकू (आला–ए–क़त्ल)

पंजीकृत अभियोग

मुकदमा अपराध संख्या 321/2025, धारा 103(1) बीएनएस – थाना तरवां, जनपद आज़मगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार – थाना तरवां, जनपद आज़मगढ़
2. का0 सौरभ कुमार – थाना तरवां, जनपद आज़मगढ़
3. का0 अजय यादव – थाना तरवां, जनपद आज़मगढ़

प्रेस नोट

साइबर क्राइम थाना – आज़मगढ़

स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर हुए साइबर फ्रॉड की ₹86,250/- राशि पीड़ित को वापस कराई गई

➡ आवेदक चन्दन कुमार झा, निवासी राधाकृष्णा अपार्टमेंट, काका ढ़ाबा, कल्याण ईस्ट, ठाणे (महाराष्ट्र) के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ₹86,250/- का साइबर फ्रॉड किया गया था।

➡ पीड़ित द्वारा दिनांक 26.04.2025 को साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत संख्या 31904250xxxxx एवं 31904250xxxxxxx दर्ज कराई गई थी, जो प्रतिबिम्ब पोर्टल के माध्यम से साइबर क्राइम थाना आज़मगढ़ को प्राप्त हुई।

बरामदगी / धनवापसी विवरण:

साइबर क्राइम थाना आज़मगढ़ द्वारा त्वरित जांच-पड़ताल एवं प्रभावी साइबर फॉलोअप कार्रवाई के परिणामस्वरूप पीड़ित की फ्रॉड की गई संपूर्ण राशि ₹86,250/- सफलतापूर्वक रिकवर कर पीड़ित के खाते में वापस कराई गई।

कार्यवाही करने वाली टीम:

साइबर क्राइम थाना, आज़मगढ़

संदेश:

आज़मगढ़ पुलिस नागरिकों से आग्रह करती है कि किसी भी प्रकार के निवेश, लिंक, ऑफर या ऐप पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें। किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें या 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।